



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय-विश्वविद्यालय)

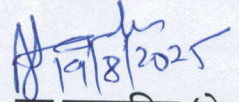
बी- 4, कुतुब, सांस्थानिक-क्षेत्र, नई-दिल्ली - 110016

क्रमांक : एफ.2(13)लबशारासंवि/लेखा/25-26/790

दिनांक : 19.08.2025

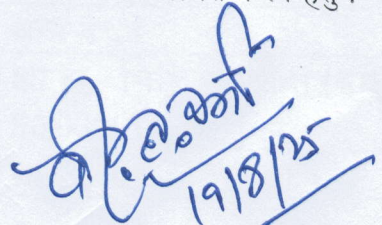
कार्यालयीय सूचना

1. आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार वेतन से आयकर की कटौती, वित्त वर्ष 2025-26 में नियमानुसार की जानी है।
2. वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट के अनुसार आयकर की दरें अनुलग्नक में दी गई हैं। आयकर की गणना वेतन से मासिक आधार पर की जायेगी। संलग्नक के अनुसार मकान किराया छूट, एल.आई.सी., ट्यूशन फीस एवं अन्य बचत पत्रों को दिनांक 31.08.2025 तक कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवा दें तथा पैन नंबर सही रूप से भरें।
3. जो कर्मचारी मकान किराये की छूट लेना चाहते हैं, वे मासिक / त्रैमासिक किराये की रसीद एवं मकान मालिक का नाम, पता एवं मकान मालिक के पैन कार्ड की प्रतिलिपि के साथ कार्यालय में जमा करें।
4. संलग्न अनुलग्नको को लेखा विभाग में दिनांक 31.08.2025 तक निश्चित रूप से जमा करवा दें जिससे अभिलेखानुसार उपलब्ध बचत तथा अन्य सूचनाओं के अनुसार, कर की गणना तथा कटौती की जा सके।


उप कुलसचिव (लेखा)

प्रतिलिपि :-

✓ संगणक विभाग को उक्त सूचना मोबाइल सन्देश/वेबसाइट के माध्यम से सभी शैक्षणिक एवम गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रेषित करने हेतु।


19/8/25



दूरभाष : 011-46060507

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय-विश्वविद्यालय)

कर्मचारी आयकर घोषणा-पत्र (वित्त वर्ष 2025-26)

नाम :	पैन न. :
पद :	विभाग :
जन्म तिथि :	

क्रमांक	विवरण (पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार छूट लेने हेतु)	प्रस्तावित निवेश
क	सकल वेतन	
ख	गृह संपत्ति पर छूट हेतु (आयकर के अनुभाग 24 के अंतर्गत)	
	मकान (संपत्ति) का पता	
	स्वयं के पास/कब्जे में (हाँ/नहीं)	
	भवन निर्माण अग्रिम ब्याज वित्त वर्ष 2025-26	
	भवन निर्माण पूर्ण होने / कब्जा पाने से पूर्व का ब्याज (आयकर नियम के अंतर्गत)	
ग	मकान किराया प्रतिमाह (मूल रसीद संलग्न)	
घ	निवेश 80 सी., 80 सी. सी. सी., 80 सी. सी. डी.	
i	पी.पी.एफ.	
ii	जी.पी.एफ./एन.पी.एस. का योगदान	
iii	भवन निर्माण अग्रिम भुगतान (ब्याज के अतिरिक्त)	
iv	जीवन बीमा निगम (वेतन से कटौती छोड़कर)	
v	ट्यूशन फीस	
vi	अन्य निवेश (उल्लेखित करें)	
	कुल निवेश (80 सी.) 1,50,000/- तक	
	अन्य लाभ (80 सी. सी. डी.) एन.पी.एस. रुपये 50,000/-	
ड	अन्य बचत	
i	80 डी.- चिकित्सा बीमा (अधिकतम 25,000/-, वरिष्ठ नागरिक-50,000/-)	
ii	अन्य निवेश (उल्लेखित करें)	

(कृपया विकल्प 1 या 2 में से एक ही विकल्प को चिन्हित करें)

विकल्प-1

(60 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए)

कुल आय	आयकर की दरें
2,50,000/- रुपये तक	कोई टैक्स नहीं
2,50,001/- रुपये से 5,00,000/- तक	5%
5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- तक	20%
10,00,001/- से अधिक	30%

(60 वर्ष से अधिक उम्र (वरिष्ठ नागरिक)/पेंशनरों के लिए)

कुल आय	आयकर की दरें
3,00,000/- रुपये तक	कोई टैक्स नहीं
3,00,001/- रुपये से 5,00,000/- तक	5%
5,00,001/- रुपये से 10,00,000/- तक	20%
10,00,001/- रुपये से अधिक	30%

क्या आप विकल्प-1 का उपयोग करना चाहते हैं - हाँ / नहीं।

अथवा

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में निम्नानुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प भी दिया गया है।

विकल्प-2

कुल आय	आयकर की दरें
4,00,000/- रुपये तक	कोई टैक्स नहीं
4,00,001/- रुपये से 8,00,000/- तक	5%
8,00,001/- रुपये से 12,00,000/- तक	10%
12,00,001/- रुपये से 16,00,000/- तक	15%
16,00,001/- रुपये से 20,00,000/- तक	20%
20,00,001/- रुपये से 24,00,000/- तक	25%
24,00,001/- रुपये से अधिक	30%

क्या आप विकल्प-2 का उपयोग करना चाहते हैं - हाँ / नहीं।

नोट :- उपरोक्त दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चिन्हित न करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नई व्यवस्था अनुसार कर की कटौती की जायेगी।

उपरोक्त आधार पर मैं यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि बिना कुछ छुपाये मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी बिल्कुल सही है। मैं वित्ताधिकारी को ये अधिकार देता हूँ / देती हूँ कि वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में मेरे आयकर की कटौती की जाए। सभी स्व-प्रमाणित बचत दस्तावेज जैसे-जीवन बीमा निगम, भवन निर्माण अग्रिम (मूल एवं ब्याज) आदि की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी योजनाओं में कोई भी बदलाव आता है तो उसकी सूचना दिनांक 31.12.2025 तक अनिवार्य रूप से लेखा विभाग को दे दी जायेगी। तदनुसार जनवरी-2026 से फरवरी-2026 के वेतन में वित्त वर्ष 2025-26 के आयकर की पुनः गणना कर ली जाये।

हस्ताक्षर:

नाम :

पद :

फोन न. :